

प्रेषक,
देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 के मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं०-71 के अन्तर्गत खाद्यान्न लागत मद में तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भो०प्रा०/4643/2017-18 दिनांक 08.12.2017 का संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के प्राथमिक (एन०सी०एल०पी० विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं) में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जनपदवार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है, और इस हेतु केंद्रांश के रूप में प्रश्नगत विद्यालयों के लिए खाद्यान्न उठान (गेहूं/चावल) हेतु तृतीय किस्त के रूप में धनराशि रू० 1483.66 लाख (रू० चौदह करोड़ तिरासी लाख छछठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जो बिल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे, उसका सीधे भुगतान संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-71 अधीन लेखाशीर्षक-“2202- सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा- 112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाए-0102-खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा.00-के.)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2119(1)/ 79-6-17-1737/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 8- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 9- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 10- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 12- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
- 13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

✓

Enclosure of G.O.

**[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Cost of Foodgrain
FY 2017-18: Grant-71, PLAN: 3rd Installment**

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	Funds for Cost of Foodgrain is Being Released as 3rd Installment	Amount surrendered by districts in 2016-17 due to Bill not recieved from FCI/Agency OR Transaction Failure but required in 2017-18 for pending payment of 2016-17	Total Funds for Cost of Foodgrain is Being Released as 3rd Installment
1	2			8
1	01-Agra	19.66		19.66
2	02-Allgarh	21.67		21.67
3	03-Allahabad	37.32		37.32
4	04-Ambedkar nagar	15.70		15.70
5	05-Auraiya	10.22		10.22
6	06-Azamgarh	35.40		35.40
7	07-Badaun	22.38		22.38
8	08-Baghat	7.57		7.57
9	09-Bahraich	34.63		34.63
10	10-Ballia	31.80		31.80
11	11-Balrampur	18.75		18.75
12	12-Banda	17.85		17.85
13	13-Barabanki	24.28		24.28
14	14-Bareilly	33.39	0.28	33.67
15	15-Basti	21.09		21.09
16	16-Bhadohi	10.53		10.53
17	17-Bijnour	24.36		24.36
18	18-Bulandshahar	15.77		15.77
19	19-Chandauli	18.53		18.53
20	20-Chitrakoot	11.81	2.12	13.93
21	21-Amethi	12.10		12.10
22	22-Deoria	22.20		22.20
23	23-Etah	14.35		14.35
24	24-Faizabad	19.16		19.16
25	25-Farrukhabad	15.20		15.20
26	26-Fatehpur	21.83		21.83
27	27-Firozabad	12.67		12.67
28	28-G.B. Nagar	8.77		8.77
29	29-Ghazipur	24.95		24.95
30	30-Ghaziyabad	8.90		8.90
31	31-Gonda	27.69		27.69
32	32-Gorakhpur	26.21		26.21
33	33-Hameerpur	9.45		9.45
34	34-Hardoi	38.52		38.52
35	35-Hathras	9.78		9.78
36	36-Itawah	11.66		11.66
37	37-J.P. Nagar	10.63		10.63
38	38-Jalaun	11.20		11.20

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

(Signature)
01/01/18
(राजेश्वरी)
उप-सचिव

Sl. No.	Districts	Funds for Cost of Foodgrain is Being Released as 3rd Installment	Amount surrendered by districts in 2016-17 due to Bill not recieved from FCI/Agency OR Transaction Failure but required in 2017-18 for pending payment of 2016-17	Total Funds for Cost of Foodgrain is Being Released as 3rd Installment
1	2			8
39	39-Jaunpur	35.00		35.00
40	40-Jhansi	13.29		13.29
41	41-Kannauj	15.42	34.95	50.37
42	42-Kanpur Dehat	17.10		17.10
43	43-Kanpur Nagar	15.20		15.20
44	44-Kaas Ganj	10.85		10.85
45	45-Kaushambi	12.21		12.21
46	46-Kushinagar	24.90		24.90
47	47-Lakhimpur Kheri	47.99		47.99
48	48-Lalitpur	14.04		14.04
49	49-Lucknow	18.22		18.22
50	50-Mahoba	9.14		9.14
51	51-Mahrajanj	22.21		22.21
52	52-Mainpuri	11.40		11.40
53	53-Mathura	13.01	8.67	21.68
54	54-Mau	17.67		17.67
55	55-Meerut	14.96		14.96
56	56-Mirzapur	23.69		23.69
57	57-Moradabad	15.37		15.37
58	58-Muzaffarnagar	11.36		11.36
59	59-Pilibhit	13.90		13.90
60	60-Pratapgarh	24.69		24.69
61	61-Rai Bareilly	20.34		20.34
62	62-Rampur	14.21		14.21
63	63-Saharanpur	18.64		18.64
64	64-Santkabr Nagar	12.90		12.90
65	65-Shahjahanpur	28.29		28.29
66	66-Shrawasti	8.32		8.32
67	67-Siddharthnagar	23.68		23.68
68	68-Sitapur	39.04		39.04
69	69-Sonbhadra	18.85		18.85
70	70-Sultanpur	34.89		34.89
71	71-Unnao	20.70		20.70
72	72-Varanasi	27.21		27.21
73	73-Sambhal	17.91		17.91
74	74-Hapur	6.61		6.61
75	75-Shamli	6.45		6.45
Total		1437.64	46.02	1483.66

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

(राजेश सिंह)
उप सचिव

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: ०९ जनवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 के मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुदान सं०-71 के अन्तर्गत खाद्यान्न लागत मद में तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

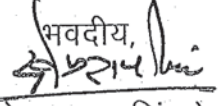
उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भो०प्रा०/4643/2017-18 दिनांक 08.12.2017 का संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के प्राथमिक (एन०सी०एल०पी० विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं) में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जनपदवार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है, और इस हेतु केन्द्रांश के रूप में प्रश्नगत विद्यालयों के लिए खाद्यान्न उठान (गेहूं/चावल) हेतु तृतीय किस्त के रूप में धनराशि रू० 1483.66 लाख (रू० चौदह करोड़ तिरासी लाख छछठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जो बिल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे, उसका सीधे भुगतान संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-71 अधीन लेखाशीर्षक-"2202- सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा- 112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाए-0102-खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा.00-के.)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

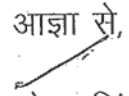
संलग्नक-यथोक्त।


(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2119(1)/ 79-6-17-1737/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 8- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 9- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 10- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 12- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
- 13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।